//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 20/2023

उनवान

मोहम्मद अनवर अली पुत्र मोहम्मद केसर जाति काठात मुसलमान निवासी मेहराता का बास, फतेहगढ सल्ला, रूपनगर, अजमेर।

––– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

वनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 10.9.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिठुर के हाल खसरा नम्बर 2460 रकबा 0.24 व 2460/3247 रकबा 0.12 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा के सह खातेदार नूरा पुत्र अन्ना की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है, जिसके विरूद्व कोई अनुतोष नही चाहा है। नूरा की नाऔलाद मृत्यु होने के कारण उसे प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। उक्त आराजी में अवागमन हेतु खसरा नम्बर 2404 मुख्य सडक से हाल खसरा नम्बर 2453 रकबा 0.61 सिवायचक भूमि में से होकर स्वयं की खातेदारी में प्रवेश करता है। इस मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी को उक्त खसरा नम्बर में से 30 फिट चौडा मार्ग उपलब्ध कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया गया। ग्राम व पटवार मण्डल बिठुर तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 2460 रकबा 0.24 व 2460/3247 रकबा 0.12 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा के सह खातेदार नूरा पुत्र अन्ना की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास उक्त आराजी पर आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। चाहा गया रास्ता लघुतम है। प्रार्थी को चाहे गये रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही होना बताया गया है। प्रस्तावित मार्ग खसरा नम्बर 2453 से हो कर गुजरता है। खसरा नम्बर 2453 रकबा 0.61 राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। तहसीलदार [illegible] रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 2460, 2460/3247 के सामने तथा लगायत 245[illegible] मकान का निर्माण तथा तारबंदी कर लोहे का गेट लगाया हुआ है। प्रार्थी को उक्त मार्ग [illegible] उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:30:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थी को रास्तें की आत्यतिंक आवश्यकता है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपार्ट में कोई विपरित तथ्य पेश नही है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु नवीन रास्ता उपलब्ध कराने की है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः ग्राम बिठुर के हाल खसरा नम्बर 2453 रकबा 0.61 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "**स्वीकार**" किया जाता है। उक्त आराजी में से 270 वर्ग मीटर रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी से खसरा नम्बर 2453 से अतिकमण हटवा कर व भूमि की डी0एल0सी0 दर से दो गुणा राशि 20, 317/ अक्षरे बीस हजार तीन सौ सतर रूपये मात्र राजकोष में जमा होने के बाद उक्त रकबा सिवायचक खातें में गै.मु. रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:30:33 IST
Reason: SelfAttested